झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
संकल्प

2621
20/3/15

राँची, दिनांक ....

विषयः राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि संबंधी कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–3286 दिनांक–04.04.2014 में संशोधन।

कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–3286 दिनांक–04.04.2014 द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के अन्तर्गत निम्न कोटि के पद से उच्च कोटि के पद पर प्रोन्नति हेतु ग्रेड पे आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका–1(iii) में प्रावधानित है कि संबंधित पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से कालावधि की गणना की जायेगी।

कंडिका–1(iii) को निम्नलिखित संशोधन के साथ अन्तःस्थापित किया जाता हैः–

कंडिका–1(ii) के कॉलम–2 में अंकित ग्रेड वेतन से संबंधित पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना/आदेश निर्गत होने की तिथि से कालावधि की गणना की जायेगी। परन्तु कालावधि में छूट का यह लाभ वैसी स्थिति में देय नहीं होगा, जिसमें सरकारी सेवक ने सरकार द्वारा पदस्थापित किये जाने के बावजूद प्रोन्नत पंद पर योगदान देने अथवा प्रभार लेने में विलंब किया है। बाह्य सेवा में कार्यरत पदाधिकारियों के मामलों में कालावधि की गणना वर्त्तमान पद पर प्रोन्नति की तिथि से की जायगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि MACP के फलस्वरूप प्राप्त ग्रेड वेतन को कालावधि की गणना करने के लिए आधार नहीं बनाया जायगा।

3. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20/3/15
(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–02/2014 का०–2621/राँची, दिनांक 20/3/15

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

20/3/15
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–15/नीति नि०–07–02/2014 का०–2621/राँची, दिनांक 20/3/15

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/15
सरकार के प्रधान सचिव।